अध्याय - 6

परियोजनाओं का निष्पादन

कार्यक्रम के अनुसार किसी परियोजना का समापन सुनिश्चित करने के लिए समय और लागत प्रत्येक ठेके का सार है। लेखापरीक्षा ने चार सीपीएसईज़ के क्षमता संवर्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए दिए गए ठेकों की जाँच की। 31 मार्च 2012 को वाणिज्यिक प्रचालन की नियत तारीख (सीओडी), वास्तविक सीओडी, और वित्तीय प्रगति का परियोजना-वार विवरण ***अनुबंध- VI*** में दिया गया है।

6.1 परियोजनाएं चालू करने में विलम्ब

XII योजना (2012-17) के लिए जल विकास योजना में, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने परिकल्पना की कि बड़े आकार वाली जल परियोजना के विकास में योजना बनाने से चालू करने में लगभग 10 वर्ष लगते हैं। इसी प्रकार, 2008 में सार्वजनिक उपक्रम समिति के समक्ष एनएचपीसी के प्रस्तुतिकरण के साथ पठित एमओपी के दिशानिर्देशों के अनुसार भी जल विद्युत परियोजनाओं की योजना बनाने से चालू करने की तारीख तक लगभग 6.5 वर्ष से 9.5 वर्ष तक के समय की परिकल्पना थी।

16 परियोजनाओं में से 14 (नीपको[57] की दो परियोजनाओ को छोड़कर) की प्रारम्भ करने से वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि तक लिया गया समग्र समय/संभावित समय निम्नलिखित चार्ट में चित्रित है:

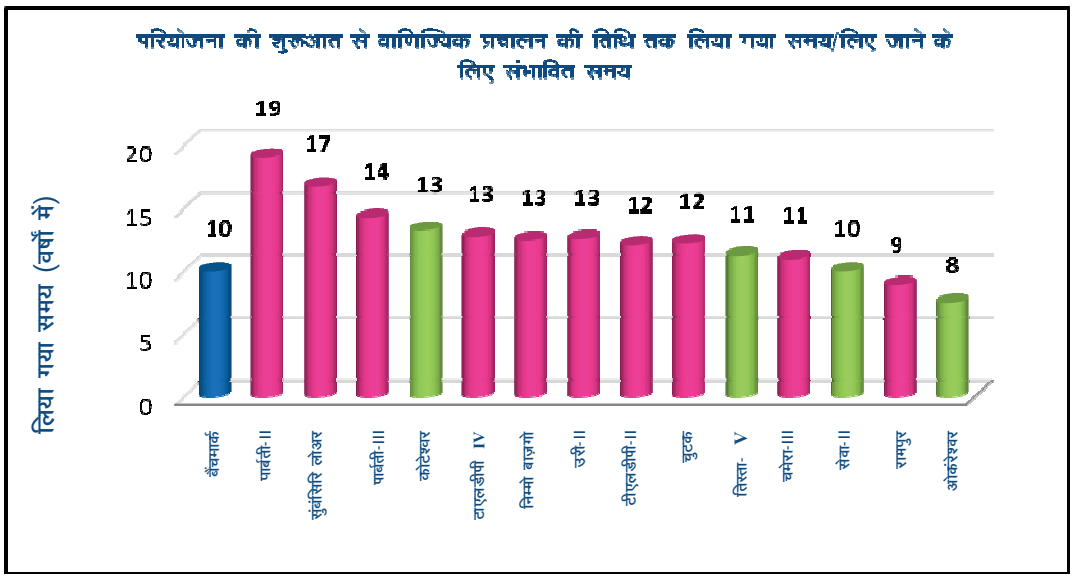

57 *नीपको की दो परियोजनाओं के प्रारम्भ करने से सम्बन्धित आंकड़े उपलब्ध नही थे।*

परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए 10 वर्षों के सीईए के बैंचमार्क को मानते हुए दो परियोजनाएं (ओंकारेश्वर और सेवा-II) बैंचमार्क के अन्दर पूरी की गई थी। दो अन्य परियोजनाएं एनएचपीसी की "तीस्ता V" और टीएचडीसी की " कोटेश्वर" क्रमशः 11 और 13 वर्षों में पूरी हुई थी। शेष 10 चालू परियोजनाओं मे से नौ परियोजनाओं में 11 और 19 वर्षों के बीच का समय लगने की संभावना है तथा एक परियोजना (एसजेवीएनएल की रामपुर) नौ वर्षों के अन्दर पूरी होने की संभावना है।

संबंधित परियोजनाओं के निवेश अनुमोदन में परिकल्पित समय सीमा के संदर्भ में, एक परियोजना (ओंकारेश्वर परियोजना) वाणिज्यिक प्रचालन की नियत तिथि के अन्दर पूरी की गई थी जबकि तीन परियोजनाएं[58] वाणिज्यिक प्रचालन की नियत तिथि के सदर्भ में 14 माह से 84 माह तक के विलम्ब के साथ पूरी हुई थी। शेष 12 परियोजनाएं वाणिज्यिक प्रचालन की नियत तिथि से 20 माह से 115 माह तक पीछे चल रहीं हैं ***(अनुबन्ध- VI)*** ***।***

परियोजना निष्पादन में विलम्बों में महत्वपूर्ण लागत निहितार्थ थे। ₹30,005 करोड़ की कुल लागत से अनुमोदित चार सीपीएसईज द्वारा निष्पादित/निष्पादन की जा रही 16 परियोजनाओं की लागत को संशोधित कर ₹44,712 करोड़ कर दिया गया था। सात पूर्ण/चालू परियोजनाओं में लागत वृद्धि 53 से 148 प्रतिशत तक के बीच थी ***(अनुबंध - VII)*** ।

16 परियोजनाओं में से 12 में पाए गए विलम्ब के कारणों और परिणामतः लागत वृद्धि का परियोजना वार विस्तृत विश्लेषण नीचे दिया गया हैः-

(i) एनएचपीसी की सेवा- II (34 माह का विलम्ब)

लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि इस परियोजना के पूर्ण होने में विलम्ब के मुख्य कारण थे (i) ठेकेदारों को कार्य स्थल तक आगमन मार्ग सौपने में विलम्ब, (ii) 2 किमी के आगमन मार्ग के लिए वन मंजूरी प्राप्त करने में विलम्ब, जिसे प्रारम्भ में डीपीआर स्तर पर परिकल्पित नहीं किया गया था, (iii) ढीला संस्तर पाए जाने के बाद हेड रेस टनल का पुनःमार्गस्थ किया जाना (iv) ऐंकर ब्लाक में बुनियादी ढांचे में परिकल्पित डिजाइन और चित्रों का संशोधन जिसे निविदाकरण स्तर पर परिकल्पित नही किया गया था। जुलाई 2005 और सितम्बर 2006 के बाढ़ के कारण जिससे कोफर बांध बह गया था, के अलावा कर्मचारियों के आन्दोलन से भी कार्य की गति प्रभावित हुई थी।

परियोजना के निष्पादन में ₹ 665.46 करोड़ की अनुमोदित लागत को संशोधित कर ₹1,108.83 करोड़ कर दिया गया था (67 प्रतिशत वृद्धि) जिसे पहले अपर्याप्त जाँच के कारण परिकल्पित नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप परियोजना से प्रति यूनिट विद्युत सृजन की लागत ₹ 2.98 प्रति यूनिट से बढकर ₹4.17 प्रति यूनिट हो गई थी।

एनएचपीसी प्रबन्धन ने ठेकेदार को आगमन मार्ग सौपने में कम्पनी द्वारा विलम्ब को स्वीकार करते हुए बताया (अक्तूबर 2011) कि बोली दस्तावेजों में 2 किमी लम्बाई के आगमन मार्ग का कोई उल्लेख नहीं था। एचआरटी का मार्ग बदलना और परिकल्पित डिजाइन में संशोधन भूवैज्ञानिक परिस्थितियों के कारण किए गए थे, उप ठेकेदारों का निष्पादन संतोषजनक नहीं था और इस प्रकार

---

*[58] एनएचपीसी की तीस्ता- **V** एवं सेवा -**II** परियोजनाएं तथा टीएचडीसी की कोटेश्वर*

मुख्य ठेकेदार ने उनका ठेका समाप्त कर दिया और एचआरटी का शेष कार्य दूसरे ठेकेदार को दिया गया था। कोफर बांध भी जुलाई 2005 और सितम्बर 2006 में बह गए थे क्योंकि उनको गैर मानसूनी बाढ के लिए डिजाइन किया गया था।

प्रबन्धन का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि आगमन मार्ग प्रदान करने की जिम्मेदारी एनएचपीसी की है जिसे ठेकेदार को श्रमबल और मशीनरी के परिचालन के लिए तुरन्त आगमन मार्ग प्रदान करना चाहिए था। अपर्याप्त सर्वेक्षण एवं जाँच के कारण प्रतिकूल भूवैज्ञानिक परिस्थितियां सामने आई थी। इसके अतिरिक्त, कार्य का निर्विध्न निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए अनुमोदन से पहले एनएचपीसी उप ठेकेदार की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने में विफल रही। केवल गैर-मानसूनी मौसम के लिए कोफर बांध के डिजाइन से प्रबन्धन की अदूरदर्शिता का भी पता चलता है।

(ii) एनएचपीसी का पार्बती - II (99 माह का विलम्ब)

लेखापरीक्षा द्वारा विश्लेषित धीमी प्रगति के मुख्य कारण थे (i) डीपीआर स्तर पर परियोजना के लिए वांछित भूमि का गलत निर्धारण जिससे प्रबन्धन को मुख्य ठेके देने के बाद अतिरिक्त भूमि के लिए आवेदन देना पड़ा, (ii) मुख्य ठेका देने से पहले बुनियादी ढांचे का कार्य पूर्ण न करना और मुख्य सिविल ठेकेदारों को स्थल देने में विलम्ब, (iii) निर्माण आरेखण जारी करने में विलम्ब (iv) बीओक्यू के गलत मूल्यांकन के कारण कार्य क्षेत्र में वृद्धि (v) शिमला उच्च न्यायालय के आदेशानुसर प्रबन्धन द्वारा नए खदान निर्माण से सम्बंधित निर्णयों को लेने और अत्यधिक जल और रेत/ गाद आदि के कारण फेस-4 के भूमिसुधार के लिए रूपरेखा और कार्य प्रणाली को अन्तिम रूप देने में लिया गया अधिक समय (vi) ठेकेदारों के साथ तकनीकी और संविदात्मक मुद्दों को दूर करने में लिया गया अधिक समय, (vii) बिजलीघर के बैक हिल स्लोप उपचार के लिए अप्रैल 2004 में इसकी प्रथम विफलता के बाद कोई लाभकारी कदम नहीं उठाए गए जिसके परिणामस्वरूप दोबारा जून 2006 में फिर फरवरी 2007 में वह असफल रहा, और (viii) इलैक्ट्रो मैकेनिकल ठेकेदार (बीएचईएल) द्वारा निर्माण एजेन्सी के बारे में अन्तिम फैसला लेने में विलम्ब।

प्रबन्धन द्वारा जुलाई 2014 की पूर्णता की पूर्वनुमानित तिथि को इन मान्यताओं के आधार पर तय किया गया (i) एचआरटी फेस-1 के लाइनिंग कार्य को दिसम्बर 2010 तक पुनः प्रारम्भ कर लिया जाएगा और 120 मी.प्रति माह की गति से जारी रखा जाएगा (ii) लाट पीबी- IV के शेष कार्य के लिए दिसम्बर 2010 तक अनुबंध दिया जाएगा और (iii) इलैक्ट्रो-मैकेनिकल ठेकेदार के दावे का निपटान किया जाएगा और नवम्बर 2010 तक कार्य पुनः प्रारम्भ किया जाएगा। तथापि पार्बती -II परियोजना के टीबीएम के माध्यम से टनल को पुनः प्रारंभ करने की संविदा (पीबी-2) को एनएचपीसी द्वारा समाप्त (मार्च 2012) कर दिया गया है और नई संविदा अभी (जून 2012) दी जानी बाकी है ।

एनएचपीसी प्रबंधन ने आरेखण जारी करने में विलम्ब को स्वीकार करते हुए कहा (अक्तूबर 2011) कि संरचनात्मक कार्य और स्थल को मुख्य ठेकेदार को सौपने से सम्बन्धित विलम्ब वन मंजूरी /पेड़ों को गिराने की अनुमति प्राप्त करने में विलम्ब के कारण हुई थी। इसके अतिरिक्त, कार्यक्षेत्र निष्पादन के दौरान विपरीत भौगोलिक स्थितियों और शियर /फॉल्ट जोन के उपचार में विलम्ब के कारण बढ गया था। बीएचईएल द्वारा निर्माण एजेन्सी के बारे में अन्तिम निर्णय न लिए जाने के कारण भी कार्य प्रभावित हुआ था।

प्रबंधन का जवाब तर्कसंगत नही है क्योंकि सरंचनात्मक कार्य को पूरा करने और स्थल को ठेकेदार को सौपने की मुख्य जिम्मेदारी एनएचपीसी की है। इसके अलावा, निर्माण के आरेखण भी ठेकेदार को समय पर जारी की जानी चाहिए थी। अपर्याप्त सर्वेक्षण/जाँच और बीएचईएल द्वारा निर्माण एजेन्सी के बारे में अन्तिम निर्णय में विलम्ब के कारण भी परियोजना के पूरा होने में विलम्ब हुआ और कम्पनी को अतिरिक्त लागत वहन करनी पड़ी।

(iii) एनएचपीसी की पार्बती - III (26 माह का विलम्ब)

लेखापरीक्षा विश्लेषण सिविल ठेकेदारों को आगमन मार्ग उपलब्ध कराने में विलम्ब, सिविल कार्य संस्था द्वारा घटिया निष्पादन, इलेक्ट्रो-मैकेनिकल ठेकेदारों द्वारा विलम्बित आपूर्ति और निर्माण के उपठेकेदार का घटिया निष्पादन दर्शाते है। इसके अतिरिक्त, टीआरटी में घटिया भूवैज्ञानिक स्थितियों, डम्पिंग यार्ड में परिवर्तन, रेज बोरिंग[59] के लिए संस्था की अनुपलब्धता, परियोजना क्षेत्र में अव्यवस्था और अनुबंध के मूल कार्यक्षेत्र से परे एचआरटी के अतिरिक्त कार्य के कारण भी विलम्ब हुआ।

एनएचपीसी प्रबन्धन ने कहा (अक्तूबर 2011) कि यूनिट-1 को जनवरी 2012 में पुनः चालू करने का कार्यक्रम बनाया गया था लेकिन इन्हे चालू करने में विलम्ब और बढ़ सकता हैं और सभी चार यूनिटों को अगस्त 2012 तक चालू किया जा सकता है। खुले क्षेत्र में कार्य जैसे बांध भरना, प्लंज पूल क्षेत्र में उत्खनन, सर्ज शाफ्ट में कन्क्रिटिंग और पॉट हेड यार्ड का कार्य भारी वर्षा के कारण विलम्बित हुआ। दबाव शॉफ्ट में स्टील लाईनर का निर्माण बादल फटने से बुरी तरह प्रभावित हुआ । इसके अतिरिक्त, मशीनों को लगाने का कार्य बिजलीघर केवर्न में सीलन और सभी क्षेत्रों में स्थानीय लोगों द्वारा की गई हड़तालों के कारण बाधित हुआ। इसके अतिरिक्त, यद्यपि टीआरटी डाऊनस्ट्रीम में पाई गई भूवैज्ञानिक संरचना निर्माण पूर्व स्थिति के साथ कम या ज्यादा तुलनात्मक है लेकिन विलम्ब का मुख्य कारण असंभावित कैविटी का निर्माण था।

यदि प्रबन्धन ने स्थल की आवश्यकतानुसार पर्याप्त रूप से सर्वेक्षण एवं जॉच की होती तो विपरीत भूवैज्ञानिक स्थितियों से उत्पन्न प्रभाव/विलम्ब को कम किया जा सकता था।

(IV) एनएचपीसी की चमेरा-III (21 माह का विलम्ब)

लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि मन्द प्रगति के कारण थे (i) हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्वीकृति अप्रैल 2006 में दी गई थी जबकि सिविल वर्क्स पैकेज सितम्बर 2005 में दिया गया था (ii) राज्य सरकार द्वारा फरवरी 2009 से अक्तूबर 2009 तक क्रशिंग प्लांट बन्द करना (iii) जुलाई 2008 और जुलाई 2010 की बाढ़ में अपस्ट्रीम और डाऊनस्ट्रीम काफर बांध का बह जाना, और (iv) ठेकेदार के निर्माण उपकरणों का सितम्बर 2009 और दिसम्बर 2010 में बांध स्थल पर दाँयी पहाड़ी से चट्टान गिरने के कारण हुई क्षति थी।

---

[59] *रेज बोरर वह मशीन है जो विस्फोटकों के प्रयोग के बिना एक खान के दो स्तरों के बीच गोलादार छेद के उत्खनन के लिए भूमिगत खनन में प्रयोग होती है।*

(v) एनएचपीसी की सुबन्सिरी लोवर (75 माह का विलम्ब)

लेखापरीक्षा ने पाया कि परियोजना की मन्द गति के कारण (i) सिविल ठेकेदार को स्थल मुहैया कराने में विलम्ब (ii) सिविल ठेकेदार द्वारा बांध की कट ऑफ दीवार बनाने के लिए विशिष्ट संस्था निश्चित न करना (iii) बिजली घर का बैक हिल स्लोप जनवरी 2008 में विफल होने पर उसकी मरम्मत में देरी (iv) सर्ज चैम्बर से सर्ज टनल तक डिजाइन/लेआउट में परिवर्तन जो कि बैक हिल स्लोप की विफलता के कारण आवश्यक हो गया था जिसके लिए मई 2009 में वर्तमान ठेकेदार को आगे कार्य करने की स्वीकृति दी गई थी (42 महीने की समाप्ति अवधि के साथ), और (v) आन्तरायिक कानून और व्यवस्था की समस्याएं और स्थानीय दलों/संगठनों द्वारा हड़ताल/ बंद थे।

इसके अतिरिक्त, अरूणाचल प्रदेश सरकार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करने में देरी के परिणामस्वरूप् भी कार्य की प्रगति में विलम्ब हुआ (यद्यपि कार्य 2005 मे आरम्भ हुआ था, एमओयू पर जनवरी 2010 में हस्ताक्षर किये गये थे[60])। परियोजना सितम्बर 2010 की सीओडी से चूक गई है।

एनएचपीसी प्रबन्धन ने कहा (अक्तूबर 2011) कि वन विभाग की औपचारिक मंजूरी के कारण सिविल ठेकेदारों को स्थल देने में विलम्ब हुआ। मुकदमों और निवल वर्तमान मूल्य अदायगी के मुद्दे के कारण वन मंजूरी में विलम्ब हुआ । ठेकेदार को सर्वेक्षण और कंक्रिट के पिलर बनाकर क्षेत्र का सीमांकन करने के बाद 01 जनवरी 2005 से कार्य शुरू करने की अनुमति दी गई थी। इसके अतिरिक्त, ठेकेदारों के दावों के निपटान में विलम्ब का कारण ठेके में अनुपयुक्तता दावों का समाधान करने की शर्तो का अभाव था, जिन्हें भविष्य के ठेकों में सम्मिलित किया जा रहा था। बैक हिल स्लोप की विफलता के सम्बन्ध में यह कहा गया कि बाह्य विशेषज्ञ समिति ने संरचना को अतिरिक्त रॉक मैकेनिक जॉच और दबाव/स्थिरता विश्लेषण करने की सिफारिशें की थी। अतिरिक्त भूवैज्ञानिक जॉच ने चट्टानों की प्रतिकूल सघन संरचना की ओर संकेत किया। इसलिए सर्ज प्रबन्धन के डिजाइन और विन्यास में परिवर्तन किया गया। इसके अतिरिक्त, आन्तरायिक कानून और व्यवस्था की समस्याओं और स्थानीय दलों/संगठनों द्वारा बन्द/हड़ताल से कार्य की अबाधित और स्थिर प्रगति को सुनिश्चित करने में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। फिर भी, एनएचपीसी स्थानीय, जिला और राज्य प्राधिकारियों से समन्वय बनाने की कोशिश कर रहा था ताकि प्रभाव की व्यापकता को उचित रूप से कम किया जा सके।

प्रबन्धन का जवाब तर्क संगत नहीं है क्योंकि एनएचपीसी ने एमओइएफ से सांविधिक मंजूरी लिए बिना ठेकेदार को कार्य दिया और इस प्रक्रिया के दौरान श्रमशक्ति और मशीनरी के खाली पड़े रहने के लिए प्रभारों के भुगतान पर ₹ 24.85 करोड़ (₹ 135.68 करोड़ के कुल दावों की तुलना में) का अतिरिक्त व्यय वहन किया। संविदा खण्ड भी दोषपूर्ण था क्योंकि इसमें बैक हिल स्लोप की विफलता के कारण खाली पड़े रहने के दावों के निपटान का कोई प्रावधान नहीं था जिससे पता चलता है कि सर्वेक्षण और जॉच उपयुक्त तरीके से नहीं की गईं थीं और इसके परिणामस्वरूप परियोजना में समय/लागत का आधिक्य हुआ।

---

60 असम सरकार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर अभी लम्बित हैं।

(vi) एनएचपीसी की उरी - II (39 माह का विलम्ब)

लेखापरीक्षा ने पाया कि परियोजना में विलम्ब के मुख्य कारण अन्य बातों के साथ-साथ (i) घटिया भागीदारी के कारण ई एवं एम कार्य देने में विलम्ब जिसके परिणामस्वरूप अनुबन्ध पूर्णता अनुसूची सीसीईए की अनुमोदित तिथि से और 4 माह आगे बढ़ गई (ii) झेलम नदी में मार्च 2007 में अप्रत्याशित बाढ से कोफर बांध का टूटना और (iii) विभिन्न संगठनों द्वारा सविराम प्रदर्शन /बंद और कर्फ्यू के कारण निर्माण सामग्री और श्रमशक्ति की पूर्ति प्रभावित होना थे।

(vii) एनएचपीसी की टीएलडी - III (69 माह का विलम्ब)

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि देरी के मुख्य कारणों में (i) वनभूमि का न सौपना (ii) 2005 से लगातार राइट बैंक स्लोप की असफलता (iii) सिविल ठेकेदार द्वारा आरेखणों के प्रस्तुतीकरण में और कम्पनी द्वारा उनकी स्वीकृति में विलम्ब (iv) मई 2009 और जुलाई 2010 में आकस्मिक बाढ और (v) स्थानीय संघों/संस्थाओं द्वारा की गई बार-बार हड़ताल/ बंद शामिल थे। यह परियोजना प्रारंभ में ₹ 768.92 करोड़ की लागत पर अनुमोदित की गई थी और अब ₹1,628.39 करोड़ की लागत पर पूरी होने की संभावना है। ₹ 2.02 प्रति यूनिट की संस्वीकृत लागत पर स्वीकृत संतुलित टैरिफ ₹4.95 प्रति यूनिट की संशोधित लागत तक बढ़ जाएगा। लागत में भिन्नता होने के मुख्य कारण (i) स्लोप संरक्षण उपायों के कारण मात्राओं में वद्धि, कट ऑफ वॉल का विस्तार, कचरे और कीचड़ उत्खनन और अनुवर्ती सुधारों के कारण मात्रा में वृद्धि ₹ 351.19 करोड़ (ii) समयाधिक्य और लागत अधिक्य के कारण आईडीसी एवं एफसी में वृद्धि ₹ 246.07 करोड़ हैं।

सिविल कार्यों को सौंपने में विलम्बों को स्वीकार करते हुए एनएचपीसी प्रबन्धन ने कहा (अक्तूबर 2011) कि परियोजना के लिए वन मंजूरी अप्रैल 2004 में प्राप्त की गई थी और इसी के अनुसार मई 2004 से सिविल ठेकेदार द्वारा कार्य आरंभ किया गया था। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2005 और 2006 के मानसून के दौरान राइट बैंक स्लोप में विफलताएं हुई और जुलाई 2007, 2008, 2009 और 2010 की अप्रत्याशित बाढ़ों के कारण कार्य में बाधाएं उत्पन्न हुई थी।

प्रबन्धन का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि एनएचपीसी ने बिना वन मंजूरी और भूमि अधिग्रहण के सिविल कार्य दिए। इसके अतिरिक्त, प्रबन्धन ने बिल ऑफ क्वांटिटीज (बीओक्यू) में उचित प्रमात्रीकरण सुनिश्चित करने के लिए परियोजना कार्य स्थल पर बाढ़ आंकड़ों का भी विस्तृत विश्लेषण नहीं किया जिसके कारण लागत में आधिक्य हुआ ।

(viii) एनएचपीसी की टीएलडी - IV (47 माह का विलम्ब)

लेखापरीक्षा विश्लेषण से विलम्ब के मुख्य कारणों में (i) बिजलीघर, सर्विस बे और पावर बांध में प्रत्याशित से निचले स्तर पर स्थित आधारभूत चट्टान के कारण सम्पूर्ण मात्रा में वृद्धि (ii) बिजलीघर की लम्बाई में वृद्धि और रेडियल गेट के भार में वृद्धि थे। ई एवं एम पैकेज सितम्बर 2009 के प्रारंभिक परियोजना समापन कार्यक्रम की तुलना में मई 2010 तक अर्थात 36 महीने की समापन अवधि के साथ मई 2007 में दिया गया था।

प्रारंभ में यह परियोजना ₹ 1,061.38 करोड़ लागत पर अनुमोदित की गई, जिसकी संभावित लागत अब ₹ 1,501.75 करोड़ है। लागत में अन्तर के मुख्य कारण (i) बार बार आने वाली बाढ़ के कारण विभिन्न आवश्यक पुनर्नवीकरण कार्यों से अतिरिक्त/नई मदों के सम्मिलित होने के कारण मात्रा में वृद्धि, प्रत्याशित से एक स्तर नीचे आधारभूत चट्टान की उपलब्धता के कारण सिविल कार्यों में वृद्धि (₹138.53 करोड़) और (ii) समयाधिक्य और लागत आधिक्य के कारण आईडीसी एवं एफसी में वृद्धि (₹150.36 करोड) थे।

एनएचपीसी प्रबन्धन ने कहा (अक्तूबर 2011) कि आधार में विभिन्नता चट्टान की नरम प्रकृति के कारण और सिविल संरचनाओं की आधारशिला को बिछाने के लिए उपलब्ध कोयले की सतह में की गई तोड़-फोड़ प्रक्रिया के कारण है। इसके अतिरिक्त,डाईवर्जन चैनल प्रोटेक्शन के लिए आवश्यक परियोजना क्षेत्र के आस पास आवश्यक आकार के बोल्डर की अनुपलब्धता के कारण जो कि 2007 की आकस्मिक बाढ से क्षतिग्रस्त हो गया था, अनुबन्धित प्रावधान से अन्तिम डिजाईन के दौरान पावर हाऊस की लंबाई 100 मी. से 104 मी. तक बढ़ा दी गई है।

प्रबन्धन का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि प्रबन्धन द्वारा अपर्याप्त सर्वेक्षण और जाँच के कारण भूवैज्ञानिक समस्याओं का सामना करना पड़ा । यह भी पाया गया कि भविष्य में किसी ऐसी संभावना को टालने के लिए बाढ़ आंकडों का सही रूप से विश्लेषण नहीं किया गया था। अंतिम रूपरेखा के दौरान भी पावर हाऊस की लंबाई को बढ़ाया गया क्योकि डिजाईन उचित रूप से तैयार नहीं किये गये थे।

(ix) एनएचपीसी की नीमो बाजगो (29 माह का विलम्ब)

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब (i) पावर डैम कंक्रीटिंग, राईट बैंक नॉन फ्लोईंग ब्लाकों, स्विचयार्ड और डैम पावर पैक रूम के संबंध में कम्पनी द्वारा आरेखण/निर्देश जारी करने में विलम्ब (ii) डिजाईन में परिवर्तन के कारण अतिरिक्त कार्य, (iii) बीएचईएल द्वारा ई और एम यंत्रों की आपूर्ति और निर्माण में विलम्ब के कारण था। इसके अतिरिक्त अगस्त 2010 में बादल फटने से क्षतिग्रस्त पुलों के कारण भी निर्माण कार्यक्रम प्रभावित हुआ।

एनएचपीसी प्रबंधन ने कहा (अक्तूबर 2011) कि सभी निर्माण आरेखण निर्माण क्रियाकलापों के साथ आनुपातिक रूप से जारी की गई थी और इस विषय में कोई विलम्ब नहीं हुआ था। डिजाइन में परिवर्तन के कारण कोई अतिरिक्त कार्य नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब (i) अति सर्द परिस्थितियों के कारण कार्य करने का समय केवल 6 महीने का होने (ii) कर्फ्यू, बंद और अन्य कानून और व्यवस्था समस्याओं के कारण लम्बे समय तक माल/आपूर्ति के रूके रहने, (iii) स्थानीय कुशल और अकुशल श्रमिकों की अनुपलब्धता और (iv) कठोर जलवायु परिस्थितियाँ इत्यादि के कारण थे।

प्रबन्धन का उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि एनएचपीसी ने ठेकेदारों को डिजाईन/निर्देश जारी करने में विलम्ब किए। इसके अतिरिक्त, डिजाईन में परिवर्तन के कारण बीओक्यू में वृद्धि हुई थी। एनएचपीसी ने सभी कार्य योजनाबद्ध रूप से तैयार नहीं किये।

(x) एनएचपीसी की चुटक (20 माह का विलम्ब)

लेखापरीक्षा विश्लेषण से पाया गया कि परियोजना के समापन में विलम्ब (i) सिविल ठेकेदारों के पास श्रमशक्ति की कमी, (ii) ई और एम ठेकेदार (बीएचईएल) द्वारा माल की आपूर्ति करने में विलम्ब और (iii) बीओक्यू के सुदृढीकरण, प्री-कास्ट लैगिंग और शैफ्ट की खुदाई में अन्तर के कारण थे।

प्रारम्भ में परियोजना ₹ 621.26 करोड़ लागत पर अनुमोदित की गई थी जिसकी संभावित समापन लागत अब ₹ 913.25 करोड़ तक पहुँच गई हैं। स्वीकृत लागत पर समानीकृत टैरिफ ₹ 3.16 प्रति यूनिट था जो कि ₹ 7.49 प्रति यूनिट की संशोधित लागत तक बढ़ जाएगा।

एनएचपीसी प्रबन्धन ने कहा (अक्तूबर 2011) कि परियोजना समापन में विलम्ब (i) सिविल ठेकेदारों के पास श्रम शक्ति की कमी (ii) ई और एम ठेकेदारों द्वारा माल की आपूर्ति में विलम्ब (iii) बीओक्यू में विभिन्नता (iv) निर्माण आरेखण जारी करने में विलम्ब (v) कार्यस्थल की बेकार भूवैज्ञानिक परिस्थितियाँ और (vi) क्षेत्र में कठोर मौसमी परिस्थितियों के कारण थे।

प्रबन्धन का उत्तर तर्क संगत नहीं हैं क्योंकि डिज़ाइन में परिवर्तन के कारण बीओक्यू में वृद्धि हुई। अपर्याप्त सर्वेक्षण और जॉचों के कारण घटिया भूवैज्ञानिक परिस्थितियों की संभावना नहीं आंकी गई। एनएचपीसी ने उस ठेकेदार को सिविल कार्य प्रदान किया जिसके पास पर्याप्त श्रमशक्ति उपलब्ध नहीं थी।

(xi) एसजेवीएनएल की रामपुर (20 माह का विलम्ब)

लेखापरीक्षा ने पाया कि विलम्ब के मुख्य कारण (i) कई भूवैज्ञानिक आकस्मिकियों के कारण सिविल कार्य के ठेकेदारों का घटिया कार्य निष्पादन (ii) इलैक्ट्रो मैकेनिकल पैकेज देने में विलम्ब; और (iii) काशोली अदित के लिए एमओईएफ से अतिरिक्त वन भूमि प्राप्त करने के लिए मंजूरी में विलम्ब थे।

प्रबन्धन द्वारा प्रत्याशित सितम्बर 2013 तक परियोजना पूर्ण होने का संशोधित समय संदेहपूर्ण प्रतीत होता है क्योंकि सलाहकार (जल) ने पाया (मार्च 2010) कि "काशोली डाऊनस्ट्रीम और गोशाई अदित अपस्ट्रीम के बीच एचआरटी की 2600 मी लंबाई तक की खुदाई" को महत्वपूर्ण निर्माण प्रक्रिया मानते हुए, यदि परियोजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 की अंतिम तिमाही के दौरान प्रारम्भ कर भी दिया जाता है तो भी यह एक प्रशंसनीय उपलब्धि होगी।

एसजेवीएनएल प्रबन्धन ने बताया (अक्तूबर 2011) कि विलम्ब के मुख्य कारण प्रत्याशित की तुलना में भूवैज्ञानिक आकस्मिकियाँ और चट्टानों की प्रतिकूल/अत्यधिक घटिया स्थिति, कशोली अदित के लिए अतिरिक्त वन भूमि अधिग्रहण के लिए एमओईएफ मंजूरी में लिया गया समय इत्यादि थे।

प्रबन्धन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रतिकूल भूवैज्ञानिक स्थितियाँ और कशोली अदित के लिए अतिरिक्त वन भूमि की आवश्यकता का सामना मुख्य रूप से प्रबन्धन द्वारा अपर्याप्त सर्वेक्षण और जाँच के कारण करना पड़ा था। यदि प्रबन्धन ने श्रमसाधित सर्वेक्षण और जाँच की होती तो उपरोक्त कठिनाईयाँ कम/न्यूनतम हो सकती थी।

(xii) कामेंग हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना (87 माह का विलम्ब)

कामेंग हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना (कामेंग परियोजना 600 मेगावाट) का विचार अरूणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले में स्थित रन आफ द रिवर योजना के रूप में किया गया था। परियोजना की पूर्णता का मूल नियत समय (दिसम्बर 2009) था तथापि, मुख्य कार्यों के डिजाइन में संशोधन, विस्तृत इंजीनियरिंग के दौरान पाई गई भूवैज्ञानिक आकस्मिकियाँ और कार्य की धीमी गति के कारण यह मार्च 2017 तक आगे बढ़ गया था।

नीपको प्रबन्धन ने कार्य की धीमी प्रगति स्वीकार करते हुए (सितम्बर 2011) बताया कि कार्य की प्रगति में तेजी लाने के लिए प्रयास किए जाएगे। प्रबन्धन ने यह भी सूचना दी कि नियत समय का पालन करने के लिए निरन्तर मानिटरिंग की जा रही थी। मंत्रालय ने आगे बताया (मार्च 2012) कि नीपको द्वारा तेजी से कार्य करने के बावजूद, ठेकेदार (पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड) मुख्य रूप से इस्पात और सीमेंट जैसी वांछित मदों की दरों में संशोधन की दलील देते हुए वांछित प्रगति प्राप्त नहीं कर पा रहा है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नीपको द्वारा मानीटरिंग के बावजूद कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं थी। प्रबन्धन को कार्य की प्रगति में तेजी लाने के लिए समय पर संविदात्मक मुद्दों को निपटाने का निर्णय लेना चाहिए था।

उपरोक्त 12 परियोजनाओं के अलावा, सीएजी की 2009-10 की रिपोर्ट सं. 27 में तीस्ता-V परियोजना में विलम्ब को पहले ही उजागर किया गया था।

इस प्रकार, उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि परियोजना निष्पादन में विलम्ब के लिए मुख्य कारण थेः

- **भूवैज्ञानिक आकस्मिकियाँ और**
- **अन्य नियंत्रणीय मामले जैसे ठेकेदारों को आगमन मार्ग सौपने में विलम्ब, भूमि आवश्यकताओं का गलत मूल्यांकन, निर्माण आरेखण जारी करने में विलम्ब, बिल आफ क्वांटिटिज के गलत मूल्यांकन के कारण कार्यक्षेत्र में वृद्धि, संसाधनों के व्यर्थ पडे रहने पर ठेकेदारों के दावों को निपटाने में लिया गया अत्यधिक समय इत्यादि।**

जैसा कि जल विद्युत विकास (1998) की नीति में परिकल्पित है व्यापक सर्वेक्षण और जॉच से भूवैज्ञानिक आकस्मिकियों को न्यूनतम किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त, अन्य कारण जैसे आगमन मार्ग सौपने में विलम्ब, निर्माण आरेखण जारी करने में विलम्ब इत्यादि को सीपीएसईज द्वारा उचित समन्वय और मानिटरिंग द्वारा नियंत्रित किया जा सकता था।

6.2 ध्यान देने योग्य अन्य मुद्दे

(क) परियोजना पर प्रतिकूल सोपानी प्रभाव

पार्बती-II द्वारा निर्मुक्त पानी दिसम्बर 2017 तक विद्युत उत्पादन के लिए उपलब्ध नहीं होगा। परिणामस्वरूप, पार्बती-III परियोजना जो पार्बती-II परियोजना की डाऊन स्ट्रीम परियोजना है, इस परियोजना द्वारा छोड़े गए पानी की कमी के कारण पार्बती-II परियोजना के चालू होने तक पूर्णतः प्रचालनात्मक नहीं हो सकेगी। पार्बती-III की केवल दो यूनिटे [61] (260 मेगावाट) जीवा नाला से छोड़े गए पानी सहित सेंज नदी में उपलब्ध पानी से विद्युत उत्पादन के लिए समर्थ होंगी। शेष दो यूनिटें (260 मेगावाट) पाँच वर्षों[62] तक निष्क्रिय रहेंगी। इसके परिणामस्वरूप, अगले पॉच वर्षों के दौरान 4,882 मिलियन यूनिटों के उत्पादन की हानि होगी।

एनएचपीसी प्रबन्धन ने स्वीकार किया (अक्तूबर 2011) कि पार्बती-III की केवल दो यूनिटें ही सेंज नदी में उपलब्ध जल से विद्युत उत्पादन करने में सक्षम हो पाएंगी।

(ख) अनुरूप लाभ के बिना भुगतान

चमेरा-III और उरी-II परियोजनाओं से संबंधित हाइड्रो मैकेनिकल कार्यों के शेड्यूल को कम करने के लिए एनएचपीसी ने एक ठेकेदार (मैसर्स ओम मेटल्स) को क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत हो गई (जुलाई 2011)। तदनुसार, एनएचपीसी ने ठेकेदार को ₹13.60 करोड़ की राशि का भुगतान किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि शेड्यूल को कम करने की आवश्यकता ही नहीं थी क्योंकि सिविल कार्यों में पहले से ही देरी हो रही थी और सिविल कार्यों के बिना हाइड्रो मैकेनिकल कार्य पूरा करना किसी काम का नहीं था।

एनएचपीसी प्रबन्धन ने बताया (अक्तूबर 2011) कि सिविल कार्यों के पूरा होने में देरी के कारण, हाइड्रो-मैकेनिकल कार्यों के पूरा होने में 2011 से आगे जाने की संभावना थी। इस प्रकार, हाइड्रो-मैकेनिकल कार्य पैकेजों के निर्माण की अवधि को कम करना अनिवार्य समझा गया। मंत्रालय ने आगे बताया (मार्च 2012) कि दोनों परियोजनाओं के मूल अनुबंध समझौतों के अन्तर्गत हाइड्रा-मैकेनिकल कार्यों की अनुसूचित पूर्णता की तुलना में हाइड्रो-मैकेनिकल ठेकेदार को दी गई अल्प समय सीमा से महत्वपूर्ण हाइड्रो मैकेनिकल घटक/कार्यों के निर्माण को जल्दी पूरा होने में मदद मिली है।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि सिविल कार्यों को पूरा किए बिना हाइड्रो मैकेनिकल कार्यों की समय सीमा कम करने ने वांछित परिणाम नहीं दिए।

(ग) अनुबंध की शर्तों का अननुपालन

पार्बती - II परियोजना के हेड रेस टनल (एचआरटी) के निर्माण हेतु अनुबंध की शर्तों के अनुसार संयुक्त उद्यम के किसी भी भागीदार को मालिक की पूर्व अनुमति के बिना अपने

---

61 दिसम्बर 2012 और जनवरी 2013 में चालू होने के लिए प्रत्याशित

62 पार्बती - III के सीओडी की तिथि अर्थात {दिसम्बर 2012 (यूनिट - III) } और जनवरी 2013 (यूनिट- IV) और पार्बती- II के सीओडी (दिसम्बर 2017) के प्रत्याशित तारीख के बीच अन्तर।

हिस्से के कार्य को (किसी भी प्रकार से) किसी अन्य पार्टी भागीदार या उप ठेकेदार को देना अनुमत नही था। तथापि, यह पाया गया कि मायतास ने श्री शंकरनारायन, जो कि संयुक्त उद्यम में विशिष्ट कार्य अनुभव के साथ -साथ वित्तीय भागीदारी (19.71 *प्रतिशत*) की शर्तों में कम क्षमता भागीदार था, को अपना पूरा कार्य दे दिया।

एनएचपीसी प्रबन्धन ने बताया (अक्तूबर 2011) कि एनएचपीसी के पास मायतास द्वारा श्री शंकरनारायन को कार्य देने का कोई रिकार्ड नहीं था। मंत्रालय ने आगे बताया (मार्च 2012) एमएचपीसी द्वारा मैसर्स एचजेवी को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

प्रबन्धन और मंत्रालय का उत्तर अयोग्य है क्योंकि एनएचपीसी के अभिलेखों [63] से पता चलता है कि मायतास ठेके के निष्पादन में सम्मिलित नहीं था। एनएचपीसी ने इस मामले में मुख्य भागीदार और जेवी को भी कारण बताओं नोटिस जारी किया है।

(घ) अतिरिक्त अनुबंधात्मक वित्तीय सहायता

सितम्बर 2002 से पार्बती परियोजना के हेड रेस टनल के निर्माण में मैसर्स एचजेवी का निष्पादन संतोषजनक नही था। तथापि जब उसका निष्पादन असंतोषजनक पाया गया, तो 2005 -06 में ठेके को रद्द करने के बजाय एनएचपीसी ने टीबीएम कार्य, ब्रिजिंग गैप और बकाया कार्य को पुनः प्रारम्भ करने के लिए अनुबंधात्मक प्रावधानों से परे ₹131.65[64] करोड़ का अग्रिम संस्वीकृत किया (दिसम्बर 2004 से अक्तूबर 2009)। एनएचपीसी ने समय समय पर अग्रिम और ब्याज की वसूली को स्थगित भी किया। लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने पर (अक्तूबर 2011), एनएचपीसी ने मैसर्स एसजेवी के साथ ठेका रद्द किया (9 मार्च 2012) और उसके पास उपलब्ध उनकी बैंक गारंटियों को भुनाया और प्रतिभूति जमा राशि का समायोजन किया । अतंतः 21 जून 2012 तक ₹ 182.48 करोड़ की राशि अभी भी बकाया थी, जिसकी वसूली की संभावना काफी कम थी। इसके कारण परियोजना में ₹ 243.54 करोड़ की अनुमानित लागत वृद्धि हुई है और 99 माह का समयाधिक्य भी हुआ है।

मंत्रालय/एनएचपीसी प्रबन्धन ने बताया (अक्तूबर 2011 और मार्च 2012) कि जुलाई 2005 से मैसर्स एचजेवी द्वारा कार्य की धीमी प्रगति पर उसकी विभिन्न बैठकों में चर्चा की गई थी और बोर्ड ने अपनी अनेक बैठकों में इसका कोई हल ढूढने के लिए कम्पनी के सम्पूर्ण हित में और परियोजना को पहले प्रारम्भ करने के उद्देश्य से निर्णय लिए थे।

इस प्रकार, निविदा दस्तावेज की बिक्री के बाद, पीक्यू मानदंडों में छूट देने द्वारा अयोग्य ठेकेदार को कार्य देने के कारण (जैसा कि पहले चर्चा की गई है) और इस बात पर ध्यान न देते हुए कि योग्यता शर्ते पूरी नहीं की गई है, के परिणामस्वरूप परियोजना में ₹ 243.54 करोड़ की अनुमानित लागत वृद्धि और 99 माह के समयाधिक्य के अलावा ₹182.48 करोड़ का अवरोधन हुआ।

---

63 ***28.10.2010, 20.12.2010 और 27.01.2011 को क्रमशः 325वीं बैठक (कार्यसूची से. 325.3.1), 328 वीं बैठक (कार्यसूची मद सं. 328.3.1) और 330वीं बैठक (कार्यसूची मद सं. 330.2.5) हुई।***

64 ***₹131.65 करोड़ के कुल अग्रिम में से, सीएमडी द्वारा ₹ 21 करोड़ की राशि अनुमोदित की गई थी और शेष निदेशक बोर्ड द्वारा।***

(ङ.) अनुबंधात्मक मुद्दों को सुलझाने में पारदर्शिता की कमी

हैड रेस टनल की बोरिंग का कार्य रोकना पड़ा था क्योंकि पानी के कीचड के प्रवेश और चट्टानों के कारण मशीन टनल में अटक गई थी। एमओपी ने श्री पी. अब्राहम भूतपूर्व सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता के अन्तर्गत एक उच्च स्तरीय समिति का गठन (जनवरी 2008) इन प्रस्तावों पर सुझावों के लिए किया (i) टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) फेस के अलावा अन्य कार्यों को पुनः प्रारंभ करने के लिए मैसर्स एचजेवी के साथ संभव समाधान और (ii) टीबीएम के साथ कार्य पुनः प्रारम्भ करने के लिए एक दर पुनर्निधारण। समिति ने ₹ 72 करोड़ का अग्रिम देने की सिफारिश की (मार्च 2008) जिससे मैसर्स एचजेवी अपने बकाया दायित्वों को पूरा कर सके। तदनुसार, कम्पनी ने मैसर्स एचजेवी को ₹ 72 करोड़ दे दिए (अप्रैल 2008)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि उपरोक्त समिति के अध्यक्ष, नागार्जुन कन्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड के निदेशक बोर्ड के सदस्य भी थे, जो कि मैसर्स एचजेवी का एक भागीदार था। इस प्रकार उनके दोनों उत्तर दायित्वों में हितों का परस्पर स्पष्ट विरोध था। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि मंत्रालय ने न तो कभी समिति के अध्यक्ष को पूछा न कभी उन्होने समिति की अध्यक्षता करते समय स्वयं अपना हित प्रकट किया।

मंत्रालय/एनएचपीसी प्रबन्धन ने बताया (अक्तूबर 2011 और मार्च 2012) कि समिति की सिफारिश समिति के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी और इसके बाद बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई थी। इसके अतिरिक्त, समिति के अध्यक्ष ने 14 बैठकों के बाद आपने आप को समिति से अलग करने का निर्णय लिया (अगस्त 2010)। इसके अतिरिक्त एनएचपीसी ने समिति के सभी सदस्यों से हित की उद्घोषण देते हुए एक घोषणा प्राप्त करने के निर्देश जारी (01 दिसम्बर 2010) किए। मंत्रालय ने आगे बताया (मार्च 2012) कि चूंकि समिति के अध्यक्ष भारत सरकार के भूतपूर्व सचिव (विद्युत) थे, यह अपेक्षित था कि वे हितों के विरोध से संबंधित नियमों/ दिशानिर्देशों के बारे में जानकारी रखते होंगे।

(च) दावों का निपटान

एनएचपीसी में दावा निपटान तंत्र तत्काल कार्य नहीं करता क्योंकि बड़ी संख्या में ठेके सम्बन्धी दावे एक से सात वर्षों तक के लिए लम्बित पडें हुए थे। 31 मार्च 2012 तक समय-वार दावों का विश्लेषण नीचे दिया गया है:

दावों का समय	दावों की संख्या	दावों की राशि (₹ करोड़ में)
एक वर्ष से कम	47	2,456.93
एक से दो वर्ष	51	1,734.90
दो से तीन वर्ष	34	258.05
तीन से चार वर्ष	30	338.05
चार से पांच वर्ष	59	415.85
पांच से छः वर्ष	45	985.73
छः से अधिक वर्ष	30	806.91
कुल	**296**	**6,996.42**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि ₹2,546.54 करोड़ की राशि तक के 164 दावे तीन वर्षों से अधिक से बकाया थे। लम्बे समय तक ठेकेदार के दावो का निपटान नहीं करने के कारण ठेकेदार के नकदी प्रवाह प्रभावित हुआ और इसके परिणामस्वरूप कार्य की प्रगति प्रभावित हुई। यह पाया गया कि अक्तूबर 2010 से पहले, एनएचपीसी में ठेकेदार के दावों के मूल्यांकन के लिए और सौहार्दपूर्ण निपटान की प्रक्रिया निर्धारित नहीं थी।

एनएचपीसी प्रबन्धन ने आपत्ति को स्वीकार किया (अक्तूबर 2011) और बताया कि ठेकेदारों के दावों के मूल्यांकन और सौहार्दपूर्ण निपटान की प्रक्रिया तैयार की गई है (अक्तूबर 2010)।

(छ) पर्याप्त प्रतिभूतियों के बिना भुगतान

चूंकि कोटेश्वर परियोजना में कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं थी, टीएचडीसी ने मैसर्स पीसीएल द्वारा दिए गए क्रयादेश के प्रति अपने जोखिम और लागत पर निर्माताओं/आपूर्तिकत्ताओं इत्यादि को सीधे भुगतान कर कार्य करवाने के लिए एक उच्च स्तरीय "सशक्त समिति" का गठन किया (मार्च 2007)। 31 मार्च 2012 तक, ठेकेदार (मैसर्स पीसीएल) से जोखिम और लागत के अग्रिम पर ₹190.42 करोड़ का अग्रिम (मूल ₹124.95 करोड़ और ब्याज ₹65.47 करोड़) वसूली योग्य था।

टीएचडीसी प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2011) कि निष्पादन प्रतिभूतियाँ, प्रतिभूति जमा, प्रचालन को कवर करने के लिए गारंटी और ठेकेदार द्वारा लाए गए उपस्करों पर गिरवी टीएचडीसी के पास उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने बताया (मार्च 2012) कि टीएचडीसी के बोर्ड ने उपलब्ध प्रतिभूतियों की राशि से परे ठेकेदार के जोखिम और लागत पर कार्य निष्पादन करवाने का विवेकपूर्ण निर्णय लिया। इससे पटरी से उतरी हुई परियोजना, जो मार्च 2007 तक प्रारंभ भी नहीं की गई थी, को चार वर्षों की अल्प अवधि में पूरा किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि टीएचडीसी के पास ₹ 190.42 करोड़ की वसूली योग्य राशि की तुलना में केवल ₹ 56.28 करोड़ (निष्पादन गारंटी/रोकड़) की प्रतिभूति राशि उपलब्ध है, जिससे कम्पनी का चूक का जोखिम उजागर होता है। इस प्रकार, टीएचडीसी ने निर्माताओं/आपूर्तिकर्त्ताओं को भुगतान जारी करने से पहले आवश्यक सुरक्षा उपाय नहीं किए ।

(ज) बीमा पालिसी में अपर्याप्तताओं के कारण हानिः

पैकेज-I के अन्तर्गत सुरंग कार्य के निष्पादन के दौरान, 12 जनवरी 2007 को एक दुर्घटना घटी जिसके बाद 28/29 दिसम्बर 2007 को एक और दुर्घटना घट गई। अनुबधात्मक प्रावधानों के अनुसार, ठेकेदार केवल अप्रत्याशित घटना होने के कारण दावे को छोड़कर क्षति होने के मामले में ठेकेदारों द्वारा ली गई सम्पूर्ण जोखिम पालिसी पर बीमा कम्पनियों के साथ दावे दर्ज करने और उन पर अनुवर्ती कार्यवाही के लिए जिम्मेदार थे। ठेकेदार ने केवल बिल आफ क्वांटिटिस (बीओक्यू) में सम्मिलित मदों को कवर करने वाली बीमा पालिसी ली थी। निष्पादन के दौरान जब अतिरिक्त मदों का निष्पादन किया जा रहा था, न तो ठेकेदार ने इन मदों का बीमा करवाया, न नीपको ने अपनी ओर से सुनिश्चित किया कि ठेकेदार इन अतिरिक्त मदों के लिए भी बीमा पालिसी ले। इसके परिणामस्वरूप, जब नीपको ने (फरवरी 2008) में

ठेकेदार को इन दुर्घटनाओं के कारण हुई हानि की पूर्ति के लिए बीमाकर्ता पर दावा करने को कहा, ठेकेदार ने सूचना दी कि यह हानि बीमा पालिसी के क्षेत्र से बाहर थी। इस प्रकार, नीपको ठेकेदार द्वारा अपर्याप्त पालिसी लेने और प्रबन्धन द्वारा मानिटरिंग में कमी के कारण बीमा कम्पनी से ₹19.88 करोड़ की राशि की हानि की वसूली नहीं कर सकी।

मंत्रालय/नीपको प्रबन्धन ने बताया (मार्च 2012) कि ठेकेदार द्वारा किए गए दावे को बीमा कम्पनी ने अतिरिक्त मद होने के कारण अस्वीकृत कर दिया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ठेकेदार द्वारा बीमा पालिसी में अतिरिक्त मदों को भी "ऐड आन" के रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिए था या ऐसी अतिरिक्त मदों के लिए नई पालिसी लेनी चाहिए थी। नीपको प्रबन्धन ठेकेदार द्वारा ली गई बीमा पालिसी को मानीटर करने और यह सुनिश्चित करने में विफल रहा कि ठेकेदार द्वारा ली गई बीमा पालिसी में अतिरिक्त मदें भी सम्मिलित हैं।